संख्या– 972 / आठ–2–2011– 247सा0 / 08टी0सी0–1

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2011

विषय– मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन हेतु संशोधित विस्तृत नीति एवं दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रदेश के समस्त जनपदों में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वसमाज के निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलांगों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी पात्र नागरिकों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। योजना के प्रथम चरण में 1,01,000 भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष 98,936 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें योजना के लाभार्थी निवास कर रहे हैं। योजना के द्वितीय चरण में 43,725 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में अनुभव की गयी कठिनाईयों के निराकरण के दृष्टिगत योजना के तृतीय चरण में कतिपय संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– अतः योजना के कियान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–4328 / 9–5–08–153सा0 / 08 दिनांक 02, जूंन, 2008, शासनादेश संख्या–5376 / 9–5–08 –153सा / 08 दिनांक 24 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या–7931 / 9–5–09– 247सा0 / 08 टी.सी. दिनांक 04 दिसम्बर, 2009 के अनुकम में मुझे यह कहने का

निदेश हुआ है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के कियान्वयन के लिए शासन द्वारा निम्नवत् संशोधित नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैं :-

(1) योजना के तृतीय चरण में आवासों की मॉग तथा भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत अनुमानित मॉग 50,000 निर्धारित की गयी है।

(2) योजना के तृतीय चरण में निर्मित होने वाले भवनों व सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भवनों की विशिष्टियों व अवस्थापना सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तृतीय चरण में प्रति भवन लागत रू0 2.70 लाख निर्धारित की गयी है। इसमें स्थल के आन्तरिक विकास कार्यों की लागत भी सम्मिलित है।

(3) तृतीय चरण के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु पूर्व निर्धारित पात्रता के कम में नगरीय सीमा में रहने वाले बी0पी0एल0 कार्डधारक, अन्त्योदय कार्डधारक, वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेन्शनधारकों के साथ-साथ उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के चिन्हित लाभार्थी भी पात्र होंगे।

(4) योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही होगी, बल्कि इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय-आस्थान एवं अन्य सरकारी विभागों यथा-लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जायेगा। योजना हेतु चिन्हित की जाने वाली सभी प्रकार की भूमि संबंधित संस्था/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा तद्नुसार अपने अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा। योजना हेतु भूमि का चयन निर्धारित समयान्तर्गत एवं उपयुक्त स्थान (लोकेशन) पर किया जायेगा।

(5) समस्त जिलाधिकारियों द्वारा उपर्युक्तानुसार लाभार्थियों तथा उपयुक्त भूमि का चयन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत लाभार्थी/आवेदक की पात्रता पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व से कोई पक्का आवासीय भवन उपलब्ध नहीं है।

(6) योजनान्तर्गत विकलांग श्रेणी के लाभार्थी चयन करते समय 80 प्रतिशत विकलांगकता प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति को शीर्ष प्राथमिकता दी जाय। ऐसे आवेदक/लाभार्थी उपलब्ध न होने पर अवरोही कम में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता के लाभार्थियों की पात्रता पर ही विचार किया जायेगा।

(7) योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नगर निगम क्षेत्र में भूतल +3 मंजिल, नगर पालिका क्षेत्र में भूतल +2 मंजिल तथा टाउन एरिया/नगर पंचायत क्षेत्र में भूतल +1 मंजिल भवनों का निर्माण किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ब्लाक की ममटी में डोर शटर, 90 से. मी., पैरापिट वाल, रूफ ट्रीटमेन्ट, प्रत्येक भवन हेतु अलग–अलग पी.वी.सी. रूफ वाटर टैंक, 05 नग डोर शटर्स, भूकम्परोधी–दीमकरोधी ट्रीटमेन्ट, आन्तरिक विद्युतीकरण (स्टेयर केस की लैंण्डिग के नीचे जंक्शन बाक्स सहित) का प्राविधान किया जायेगा तथा किचन/ट्वायलेट के वेस्ट वाटर को सीवर लाईन से अलग रखा जायेगा।

(9) योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग (जल निगम)/ऊर्जा विभाग द्वारा वाह्य विकास कार्यों यथा–रोड़ कनेक्टिविटी, ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल बोरिंग, पम्प हाउस का निर्माण, वाटर मेन्स पाइप लाइन्स एवं विद्युत सबस्टेशन का निर्माण/ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। आवासीय परिसर के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर एवं विशेष परिस्थितियों में निर्माण/आन्तरिक विकास पर मानक लागत के ऊपर व्यय होने वाली धनराशि की व्यवस्था नगरीय निकाय के साथ–साथ विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी की 2 प्रतिशत कीं धनराशि से की जायेगी। जहॉ इन श्रोतों से भी धनराशि उपलब्ध नहीं होती है वहॉ योजना के बजट से धनराशि दी जायेगी।

(10) योजनान्तर्गत समस्त जनपदों में बेसिक शिक्षा विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा लाभार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार क्रमशः प्राथमिक स्कूल एवं

उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना अपने विभागीय बजट से करायी जायेगी। तथा इस हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवासीय परिसर में उचित दर की आवश्यक दुकानो का निर्माण जिला योजना अथवा जनपद स्तर के अन्य वित्तीय स्रोतों से धनराशि की व्यवस्था करके कराया जायेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित स्वास्थ्य सेवायें विभाग के मानको के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

(11) प्रश्नगत योजना के समस्त चरणों के अन्तर्गत निर्मित आवासीय परिसर का रख–रखाव संबंधित स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन स्थानों/जनपदों में नगर निकाय सीमा के बाहर योजनान्तर्गत भवन निर्मित किये गये हैं वहॉ निकटतम नगर निकाय द्वारा ही रख–रखाव संबधी कार्यवाही की जायेगी।

(12) योजना के अन्तर्गत समस्त चरणों में निर्मित भवनों/ब्लाकों के आन्तरिक रखरखाव हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा स्थानीय आवंटियों की एक ब्लाकवार अनुरक्षण समिति गठित कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(13) योजनान्तर्गत आवंटित भवन का प्रयोग मूल लाभार्थी/आवंटी द्वारा न किये जाने अथवा उक्त भवन को मूल आवंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को "सबलेट" किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा सम्यक जॉचोपरान्त आवंटन निरस्तीकरण/भवन खाली कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(14) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के वित्तपोषण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा हुडको से ऋण प्राप्त किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा बजट के माध्यम से की जायेगी।

(15) मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (प्रथम चरण) में निर्मित आवासों/पाकेट्स में आवश्यकतानुसार ओवरहेड टैंक के निर्माण हेतु पूर्वान्चल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि से आच्छादित जनपदों में आवश्यक धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त निधियों में उपलब्ध बजट से जल

निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। शेष अन्य जनपदों में ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था योजना की मद से की जायेगी।

(16) योजना के द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में ओवरहेड टैंक के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था योजना के मद से की जायेगी तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 972 (1)/आठ–2–2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4– **प्रमुख सचिव/सचिव,** लोक निर्माण/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ परिवार कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/खाद्य एवं रसद/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन/लघु उद्योग/महिला एवं बाल विकास विभाग/खादी ग्रामोद्योग/दुग्ध विकास/अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।

6– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।

7– समस्त संबंधित प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

8– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।

9– विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री जी (श्री जमील अख्तर).

10— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12— समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

13— समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)

14— निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।

15— आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

16— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

17— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मन्जु चन्द्र)
विशेष सचिव

अभियन्त्रण अनुभाग (कन्ट्रोल रूम)

पत्रांक – 1648 / M-5 / तृतीयचरण दि. 11.04.2011

प्रतिलिपि :— निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

(1) समस्त अनुभागाध्यक्ष ।

(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता / निदेशक मॉनीटरिंग सेल।

11/04/11

O/c (M. P. VAISH)
S.E./S.S.O.